

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

नाम्ना वगै०

बनाम

सरकार वगै०


समा संख्या : 88 / 2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
09.06.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 97, 98, 103 ग्राम बिसौरी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। खसरा नम्बर 97, 98, 103 पुराने खसरा नम्बर 52 से बना है। हाल किये गये सेटलमेंट में खसरा नम्बर 97 रकबा 0.39 है 0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.02 है 0 किस्म गै०मु०रास्ता, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.06 है 0 किस्म गै०मु०स्कूल दर्ज कर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त नवीन खसरा नम्बर 97, 98, 103 के पुराने नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म बारानी दायम अंकित थी। मौके पर ना ही तो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता अंकित है ना ही कोई स्कूल प्रार्थीगण की भूमि में स्थित है तथ्यो और वास्तविकता से परे विधि विरुद्ध तरीके से सेटलमेंट कर्मचारियो ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 97, 98, 103 में से खसरा नम्बर 98 की किस्म गै०मु०रास्ता तथा खसरा नम्बर 103 किस्म गै०मु०स्कूल अंकित कर दी है जिसका की सेटलमेंट को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अतः ग्राम बिसौरी के गत खसरा नम्बर 52 के नवीन खसरा नम्बर 97, 98, 103 की दुरुस्ती कर जमाबन्दी में पूर्वानुसार नवीन खसरा नम्बर की भूमि की किस्म दुरुस्त नक्शा कायम किया जावे।</p> <p>पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम बिसौरी में खसरा नम्बर 103 रकबा 0.06 है 0 किस्म गै०मु०स्कूल, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.39 है 0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.02 है 0 किस्म गै०मु०रास्ता कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है 0 खातेदार देवनारायण, प्रहलाद सहाय, लालाराम, हेमपाल पुत्र नानछाराम, मीरादेवी पुत्री नानछाराम, राजादेवी पत्नि नानछाराम हि० 1/2, मेवाराम पुत्र रामचन्द्र हि० 1/2 जाति गुर्जर सा० नांगलतुलसीदास खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। हाल जमाबन्दी संवत् 2075-77 में खसरा नम्बर 97, 98, 103 प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जबकि नवीन खसरा नम्बर 97, 98, 103 के साबिक खसरा नम्बर 52 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दायम सेटलमेंट खतौनी संवत् 2018 में दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 97, 98, 103 मुताबिक रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 98 मुताबिक रिकार्ड अनुसार मौके पर गै०मु०रास्ता दर्ज है। खसरा नम्बर 103 मुताबिक रिकार्ड अनुसार मौके पर गै०मु०स्कूल (रा०प्रा०विद्यालय कालाखाना) संचालित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वर्तमान में जमा० में गै०मु०रास्ता व गै०मु०स्कूल दर्ज रिकार्ड है।</p> <p>पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं जवाब पैरोकार सरकार तथा अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर पाया कि ग्राम बिसौरी में स्थित खसरा नम्बर 103 रकबा 0.06 है 0 किस्म गै०मु०स्कूल, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.39 है 0 किस्म चाही 3, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.02 है 0 किस्म गै०मु०रास्ता कुल किता 3 कुल रकबा 0.47 है 0 भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा नम्बर 98 मुताबिक रिकार्ड अनुसार मौके पर गै०मु०रास्ता दर्ज है। खसरा नम्बर 103 मुताबिक</p>	

जयपुर जिला-जायपुर

रिकार्ड अनुसार मौके पर गै०मु०स्कूल (रा०प्रा०विद्यालय कालाखाना) संचालित है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को स्वीकार करना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर